भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

भूमि संसाधन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2418

दिनांक 06 अगस्त, 2024 को उत्तरार्थ

भूमि के लिए मानचित्रण

2418. श्री अरुण गोविलः

श्री सुनील कुमारः

श्री ज्योतिर्मय सिंह महतोः

श्री जगदम्बिका पालः

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश सहित देश में भू-स्थानिक मानचित्रण, ड्रोन और अन्य तकनीकों का उपयोग करके भूमि उपयोग/भूमि आवरण/भूमि खंडों की पहचान को सुगम बनाने के लिए कोई कदम उठा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बिहार में उक्त कार्य कब से चल रहा है तथा अब तक किन-किन राज्यों में उक्त कार्य प्रारंभ कर दिया गया है;

(घ) क्या बिहार के बेतिया और पश्चिम चंपारण जिले में उक्त कार्य चल रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डा. चन्द्र शेखर पेम्मासानी)

(क) और (ख) भूमि संसाधन विभाग, देश भर में एकीकृत भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली (आईएलआईएमएस) को विकसित करने के उद्देश्य से डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) नामक एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है। डीआईएलआरएमपी के तहत कार्यकलापों में से एक, भूकर मानचित्रों का डिजिटलीकरण है, जिसमें मौजूदा भूकर मानचित्रों को जीआईएस-एन्कोडेड डिजिटल मोड में परिवर्तित किया जाता है ताकि अधिकारों के अभिलेख (आरओआर) में किए गए परिवर्तनों के साथ समन्वयित भूकर मानचित्रों को अद्यतन करने की सुविधा प्रदान की जा सके। इसके अतिरिक्त, विभाग ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी), राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र (एनआरएससी) और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के परामर्श से, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनाए जाने के लिए डीआईएलआरएमपी के अंतर्गत भू खंडों को विशिष्ट आईडी प्रदान करने के लिए विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या (यूएलपीआईएन) प्रणाली नामक एक सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग विकसित किया है। यूएलपीआईएन अथवा भू-आधार, प्रत्येक भूखंड के कोनों के भू-निर्देशांकों पर आधारित 14 अंकों की अल्फा-न्यूमेरिक पहचान संख्या है। भूमि उपयोग/भूमि आवरण की पहचान करना डीआईएलआरएमपी के तहत अनुमोदित कार्यकलाप नहीं है।

(ग) यूएलपीआईएन को अब तक 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात आंध्र प्रदेश, झारखंड, गोवा, बिहार, ओडिशा, सिक्किम, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, असम, मध्य प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, तमिलनाडु, पंजाब, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, लद्दाख, चंडीगढ़, कर्नाटक और दिल्ली में शुरू किया जा चुका है। इसके अलावा, भू-आधार अथवा यूपीएलआईएन के प्रायोगिक परीक्षण को चार और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात पुद्दुचेरी, अंडमान और निकोबार, मणिपुर तथा तेलंगाना में शुरू किया गया है, अरुणाचल प्रदेश में यह प्रक्रियाधीन है और मेघालय तथा त्रिपुरा में अभी शुरू किया जाना है।

(घ) और (ङ) राजस्व और भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, पहले चरण में पश्चिम चंपारण जिला (बेतिया) के 18 अंचलों में से चार अंचलों अर्थात चनपटिया, मझौलिया, नौटन और लौरिया में विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्यक्रम शुरू किए गए है।

****